दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

आरक्षित तिथि:06.12.2023

निर्णय की तिथि:03.01.2024

<u>वै.आ. (कु.न्या.) 358/2023 और सि.वि.आवे. 62410/2023</u>

श्री सुमित सप्रा .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अरविंद कुमार शर्मा और श्री अनितेजा शर्मा, अधिवक्तागण

बनाम

श्रीमती आकांक्षा आहुजा सप्रा .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री नीरज गुप्ता और श्री प्रतीक गोस्वामी, अधिवक्तागण

कोरमः

माननीय न्यायाधीश श्री वी. कामेश्वर राव

माननीय न्यायाधीश श्री अनूप कुमार मेंदिरत्ता

<u>निर्णय</u>

<u>अनूप कुमार मेंदिरत्ता , न्या.</u>

1. इस अपील में चुनौती 20 नवंबर, 2023 को विद्वान न्यायाधीश,कुटुंब न्यायालय, उत्तरी जिला, रोहिणी, दिल्ली द्वारा पारित एक आदेश को दी गई है, जिसमें अपीलकर्ता की ओर से आदेश XXXIX नियम 1 और 2 सि. प्र . सं के

तहत धारा 151 सि.प्र.सं. के साथ पढ़ने वाले आवेदन को खारिज कर दिया गया था और 26 अक्टूबर, 2023 के आदेश के माध्यम से दिए गए अंतरिम निषेधाज्ञा को खाली कर दिया गया था।

2. संक्षेप में, अपीलकर्ता के मामले के अनुसार, अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच विवाह 17 अक्टूबर, 2018 को दिल्ली में हिंदू संस्कारों और समारोहों के अनुसार संपन्न किया गया था। शादी के कुछ दिनों बाद दोनों 16 दिसंबर, 2018 को वे अमेरिका चले गए। 27 सितंबर, 2021 को इस शादी से एक बच्चे का जन्म हुआ था और वर्तमान में दोनों पक्षों की संयुक्त हिरासत में वह संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहा है।

3. यह अपीलकर्ता का मामला आगे है कि 17 अक्टूबर, 2022 को पक्ष अमेरिका से दिल्ली पहुंचे, लेकिन प्रत्यर्थी ने अपीलकर्ता के परिवार को नवजात बच्चे से मिलने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद वे जनवरी 2023 में अमेरिका लौट आए। इसके अलावा, 02 अप्रैल, 2023 तक, दोनों पक्षकार एक ही घर में रह रहे थें , लेकिन बिना किसी सह-निवास के।

4. इसके बाद, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (i क) के तहत अपीलकर्ता की ओर से 19 मई, 2023 को कुटुंब न्यायालय, रोहिणी के समक्ष क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग करने वाली एक याचिका दायर की गई, जो 13 फरवरी, 2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

5. मिशिगन राज्य में प्रत्यर्थी पत्नी की ओर से न्यायिक सर्किट प्रोबेट कोर्ट, ओकलैंड काउंटी, परिवार प्रभाग, संयुक्त राज्य अमेरिका के समक्ष एक याचिका भी दायर की गई थी, जिसका शीर्षक था "***आकांक्षा आहूजा सप्रा बनाम सुमित सप्रा***" और उक्त मामले का नोटिस/समन 26 सितंबर, 2023 को अपीलकर्ता को प्राप्त हुआ था।

6. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, अपीलकर्ता ने संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशिगन राज्य में न्यायालय के समक्ष पत्नी द्वारा दायर तलाक याचिका के साथ आगे बढ़ने एक पक्षीय रोकने के लिए प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उत्तरी जिला, रोहिणी, दिल्ली के समक्ष 16 अक्टूबर, 2023 को कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 और 8 के साथ पढ़ा गया एक मुकदमा-रोधी निषेधाज्ञा सि.वा. 53/23 को प्राथमिकता दी गई । विद्वान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय द्वारा 26 अक्टूबर, 2023 के आदेश द्वारा एकपक्षीय एक एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई थी, लेकिन आदेश XXXIX नियम 1 और 2 सि.प्र.सं. के तहत आवेदन को अंततः 20 नवंबर, 2023 के आदेश द्वारा एकपक्षीय खारिज कर दिया गया और अंतरिम रोक को खाली कर दिया गया।

7. अपीलकर्ता का मामला यह है कि प्रत्यर्थी ने मिशिगन राज्य, न्यायिक सर्किट प्रोबेट न्यायालय , ओकलैंड काउंटी, कुटुंब प्रभाग, संयुक्त राज्य अमेरिका के समक्ष एक दुर्भावनापूर्ण और गुप्त उद्देश्य के साथ तलाक की कार्यवाही को

प्राथमिकता दी है, इस तथ्य के बावजूद कि पक्षों के बीच विवाह दिल्ली में संपन्न किया गया था और दोनों पक्ष अंत में भारत में पति और पत्नी के रूप में रहते थे। इसके अलावा, प्रत्यर्थी का दिल्ली में एक स्थायी पता है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया जाता है कि पक्षकार भारत के स्थायी नागरिक हैं लेकिन केवल अपनी-अपनी नौकरियों के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे हैं। दोनों पक्षों का निवास केवल अस्थायी बताया गया है क्योंकि उन्होंने "ग्रीन कार्ड" के लिए आवेदन नहीं किया था। इस बात पर जोर दिया जाता है कि अपीलकर्ता ने परिवार न्यायालय के समक्ष कार्यवाही दायर करने के समय संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत नहीं किया था। यह भी आग्रह किया जाता है कि प्रत्यर्थी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में उन आधारों पर तलाक का मामला दायर किया है जो हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत मान्यता प्राप्त नहीं हैं और इस तरह, तलाक की डिक्री, यदि संयुक्त राज्य अमेरिका में अदालतों द्वारा प्रत्यर्थी के पक्ष में पारित की जाती है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 13 के तहत मान्यता प्राप्त नहीं होगी। लिखित प्रस्तुतियाँ भी रिकॉर्ड में दाखिल की गई हैं।

आगे ***माधवेंद्र एल. भटनागर बनाम भावना लाल अन्य (2021) 2 एस. सी. सी. 775 अन्य वाई. नरसिम्हा राव और अन्य बनाम वाई. वेंकट, (1991) 3 एस. सी. सी. 451, सौंदुर गोपाल बनाम सौंदुर रजनी, (2013) 7 एस. सी. सी.***

426, मोदी एंटरटेनमेंट बनाम डब्ल्यू. एस. जी. क्रिकेट पीटीई लिमिटेड, (2003) 4 एस. सी. सी. 341, एस्सेल स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बी. सी. सी. आई., (2011) 178 डी. एल. टी. 465 (डीबी) और दामिनी मनचंदा बनाम अविनाश भंभानी, 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन डी. एल. 1957 पर भरोसा किया गया है ।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि दोनों पक्ष शादी के तुरंत बाद यू. एस. ए. चले गए, जहाँ अपीलकर्ता 2010 से रह रहा था। यह बताया गया है कि बच्चा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुए विवाह से पैदा हुआ था और जन्म से संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक है। ***पॉल महिंदर गहुन बनाम सिलिना गहुन, 2006 90 डी. आर. जे. 77 पर भी भरोसा किया गया है ।*** यह जोरदार रूप से तर्क दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायालय नाबालिग बच्चे के संबंध में अभिरक्षा/संरक्षकता अधिकारों सहित पक्षों के अधिकारों को व्यापक रूप से तय करने के लिए सक्षम अधिकार क्षेत्र का है। कहा जाता है कि भारत में अपीलकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी के अधिकारों को पराजित करने के एकमात्र इरादे से कार्यवाही शुरू की गई थी, इस तथ्य के बावजूद कि संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायालय दोनों पक्षों के लिए मंच संयोजक है।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि अपीलकर्ता ने पहले ही 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका में संबंधित अधिकारियों के साथ ग्रीन कार्ड के

लिए आवेदन किया था और पक्षों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संपत्ति भी खरीदी थी।

दिल्ली में परिवार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को भी चुनौती दी गई है क्योंकि पक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे हैं। इसके अलावा, कहा जाता है कि प्रत्यर्थी केवल कुछ दिनों के लिए कृष्णा नगर, दिल्ली में रहा था और उसके बाद अमेरिका चला गया था। यह आग्रह किया जाता है कि बच्चे को दिल्ली का सामान्य निवासी नहीं माना जा सकता है और इस तरह अभिरक्षा अधिकारों पर केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

इन विवादों के समर्थन में ***दिनेश सिंह ठाकुर बनाम सोनल ठाकुर, दीवानी याचिका सं 3878/2018 और नैना सूरत रावत बनाम मुकल गोयल, सि.वा (मू.व.) 254/2021***

9. इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जा सकता है कि विद्वान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय की राय थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायालय दोनों पक्षों के लिए मंच संयोजक है और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित कार्यवाही को दमनकारी नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, ***दिनेश सिंह ठाकुर बनाम सोनल ठाकुर*** (पूर्वोक्त) पर भरोसा करते हुए, यह था यह मत व्यक्त किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायालय में पक्षों के बीच वैवाहिक विवादों पर विचार करने के लिए क्षमता/अधिकार क्षेत्र की कमी नहीं है। यह आगे देखा गया कि

"विवाह का अपरिवर्तनीय टूटना" भारत में तलाक का एक मान्यता प्राप्त आधार है, हालांकि अधिकार क्षेत्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास निहित है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क कि यू. एस. ए. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को सि.प्र.सं. की धारण 13 के तहत मान्यता नहीं दी जाएगी, इसको भी विद्वान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय का समर्थन नहीं मिला क्योंकि मिशिगन संकलित कानून की धारा में प्रावधान है कि प्रत्यर्थी या तो दूसरे पक्ष द्वारा कथित तलाक के अनुदान को स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है और पक्षकारों को साक्ष्य देने का अवसर भी प्रदान करता है।

10. शुरुआत में अन्य ***वाई. नरसिम्हा राव अन्य बनाम वाई. वेंकट लक्ष्मी और अन्य (1991) 3 एस. सी. सी. 451***, अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि चूंकि पक्षकार हिन्दू विवाह अधिनियम ,1955 द्वारा शासित हैं, लेकिन मिशिगन राज्य के न्यायालय में प्रत्यर्थी की ओर से विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक की भी मांग की गई है, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के तहत मान्यता नहीं दी गई है, इसलिए निर्णय और डिक्री सि.प्र.सं. 1908 की धारा 13 की कठोरताओं को संतुष्ट नहीं कर सकती है।

11. अपीलकर्ता की ओर से उठाई गई दलीलों की सराहना आदेश के लिए, ***वाई. नरसिम्हा राव और अन्य बनाम वाई. वेंकट लक्ष्मी राव में पैरा 20 में टिप्पणियाँ। और अन्य*** (ऊपर) को लाभकारी रूप से पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः

> *"**20.** उपरोक्त चर्चा से इस देश में विदेशी वैवाहिक निर्णय को मान्यता देने के लिए निम्नलिखित नियम का अनुमान लगाया जा सकता है। विदेशी न्यायालय द्वारा ग्रहण की गई अधिकार क्षेत्र के साथ-साथ जिन आधारों पर राहत दी जाती है, वे वैवाहिक कानून के अनुसार होनी चाहिए जिसके तहत पक्ष विवाहित हैं। इस नियम के अपवाद इस प्रकार हो सकते हैं:(i) जहाँ वैवाहिक कार्यवाही उस मंच पर दायर की जाती है जहाँ प्रत्यर्थी अधिवासी है या नियमित और स्थायी रूप **निवास करता है और राहत वैवाहिक कानून में उपलब्ध आधार पर दी जाती है जिसके तहत पक्ष विवाहित हैं;** (ii) जहां-प्रत्यर्थी स्वेच्छा से और प्रभावी रूप से मंच के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करता है जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है और उस दावे का विरोध करता है जो वैवाहिक कानून के तहत उपलब्ध आधार पर आधारित है जिसके तहत पक्ष विवाहित हैं; (iii) जहां प्रत्यर्थी राहत देने के लिए सहमति देता है, हालांकि मंच का अधिकार क्षेत्र पक्षों के वैवाहिक कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं है।"*

12. मान लीजिए, वर्तमान मामले में, विदेशी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री की मान्यता के चरण तक पहुंचना अभी बाकी है, क्योंकि यह मामला संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशिगन राज्य में न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है। यह मान लेना बेतुका हो सकता है कि विदेशी न्यायालय गलत तरीके से अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा है और निर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 13 की कठोरता को संतुष्ट नहीं कर सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्ष अपनी इच्छा से संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे हैं और कार्यवाही पर केवल इस आधार पर रोक नहीं लगाई जा सकती है कि अपीलकर्ता ने विदेशी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत नहीं किया था, जबकि वे मंच संयोजक थे, क्योंकि अपीलकर्ता 2010 से लंबी अवधि से वहां रह रहा था। पक्षों पर लागू कानून और प्रक्रिया के संदर्भ में मिशिगन राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायालय के समक्ष तलाक के अनुदान को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का उचित अवसर मिलेगा।

13. इस संबंध में, ***दिनेश कुमार ठाकुर बनाम सोनल ठाकुर*** (पूर्वोक्त) का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें विचार करने का मुद्दा यह था कि क्या उक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलकर्ता पति पत्नी के खिलाफ वाद -विरोधी निषेधाज्ञा की डिक्री का हकदार है। अपीलकर्ता पति और प्रत्यर्थी पत्नी के बीच विवाह हिंदू संस्कारों और समारोहों के अनुसार 20.02.1995 को

संपन्न किया गया था। इसके बाद दोनों पक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और उन्होंने क्रमशः 2003/2006 में पी. आई. ओ. और ओ. सी. आई. के दर्जे के साथ अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर ली थी। अपीलकर्ता पति ने गुड़गांव में हिन्दू विवाह अधिनियम,1955 के तहत कार्यवाही को प्राथमिकता दी, जबकि पत्नी ने विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने और अन्य राहतों के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा में एक अदालत में कार्यवाही शुरू की थी।

अपीलकर्ता पति की ओर से इसमें एक तर्क उठाया गया था कि विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर मांगी गई तलाक की डिक्री हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत तलाक का आधार नहीं है। साथ ही, यह दलील दी गई कि प्रत्यर्थी पत्नी नाबालिग बच्चों के साथ 2003 से भारत में रह रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह आयोजित किया गया था कि यह तर्क कि प्रत्यर्थी पत्नी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक के लिए याचिका दायर की है, जिसका हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत प्रावधान नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसके तलाक की डिक्री प्राप्त करने में सफल होने की संभावना है। पक्ष इस सवाल के संबंध में सबूत पेश करेंगे कि क्या उनकी शादी सर्किट कोर्ट, फ्लोरिडा के समक्ष अधिनियम या किसी अन्य कानून द्वारा शासित है। इसके अलावा, अपीलकर्ता के यह साबित करने में समर्थ होने के बाद भी कि पक्षकार भारत में हिंदुओं को नियंत्रित करने

वाले कानून द्वारा शासित होते रहते हैं, विदेशी न्यायालय को गलत तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाला नहीं माना जा सकता है।

14. अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील ने अगला तर्क दिया है कि उनके पसंद का मंच अपीलार्थी के लिए लिए एक गैर-संयोजक मंच है। इसके अलावा, पक्षकार हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 द्वारा शासित हैं और भारत के स्थायी निवासी/नागरिक होने के नाते भारत में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि सबसे पहले अपीलकर्ता द्वारा दिल्ली में कार्यवाही शुरू की गई थी।

15. यह ध्यान दिया जा सकता है कि अनिवासी भारतीयों से संबंधित काफी संख्या में वैवाहिक विवादों में या जहां पक्ष विदेशी अधिकार क्षेत्र में निवास स्थानांतरित करते हैं और हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 द्वारा शासित होते हैं, एक पक्ष द्वारा विदेशी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को लागू करने की प्रवृत्ति है, जबकि दूसरा पक्ष भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को लागू करना पसंद कर सकता है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि भारत में न्यायालयों के पास एक पक्ष को वाद -विरोधी निषेधाज्ञा जारी करने की शक्ति है, जिस पर न्यायालय के पास एक उपयुक्त मामले में व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र है। हालाँकि, इस शक्ति का प्रयोग समिति के नियम को ध्यान में रखते हुए संयम से किया जाना चाहिए, क्योंकि मुकदमा-विरोधी निषेधाज्ञा का प्रभाव हालांकि किसी व्यक्ति

के खिलाफ निर्देशित होता है, लेकिन दूसरे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप करता है। निषेधाज्ञा के मामले समानता के सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होते हैं और ऐसे मामलों में मुकदमा-विरोधी निषेधाज्ञा जारी करने के मुकदमा अपनाए गए परीक्षणों में से एक यह है कि क्या विदेशी कार्यवाही "दमनकारी या परेशान करने वाली" है और क्या न्यायाधीश के हित में वाद -विरोधी निषेधाज्ञा देना आवश्यक है।

16. प्राकृतिक अधिकार क्षेत्र न्यायालय द्वारा एक पक्ष के खिलाफ वाद -विरोधी निषेधाज्ञा के अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत, जो उसे एक ही पक्ष के बीच वाद शुरू करने और/या मुकदमा चलाने से रोकते हैं, अगर पक्षकारों की पसंद के विदेशी न्यायालय में स्थापित किया जाता है, तो ***मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क और एक अन्य बनाम डब्ल्यू. एस. जी. क्रिकेट पीटीई. लिमिटेड*** में तय किया गया है (पूर्वोक्त)। पैरा 24 में प्रासंगिक टिप्पणियों को संदर्भ के लिए उपयुक्त रूप से पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः

> ***"24.*** *उपरोक्त चर्चा से निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैं:(1) वाद-विरोधी निषेधाज्ञा देने के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायालय को निम्नलिखित पहलुओं से संतुष्ट होना चाहिएः*
> *(क) प्रत्यर्थी, जिसके खिलाफ निषेधाज्ञा मांगी गई है, न्यायालय के व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है;*

(ख) यदि निषेधाज्ञा को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो न्यायाधीश के उद्देश्य विफल हो जाएंगे और अन्याय कायम रहेगा; और

(ग) सामूहिकता का सिद्धांत-उस न्यायालय के प्रति सम्मान जिसमें कार्यवाही /प्रक्रिया के प्रारंभ या निरंतरता को रोकने की मांग की जाती है-इनको ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(2) ऐसे मामले में जहां एक से अधिक मंच उपलब्ध हैं, न्यायालय में वाद के खिलाफ निषेधाज्ञा देने के अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए इस बात की जांच करेगी कि पक्षकारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कौन सा उपयुक्त मंच (मंच संयोजक) है और उन कार्यवाहियों के संबंध में मुकदमे के खिलाफ निषेधाज्ञा दे सकती है जो दमनकारी या परेशान करने वाली हैं या एक मंच में गैर-सुविधाजनक हैं।

(3) जहां किसी अनुबंध में अधिकार क्षेत्र खंड के आधार पर किसी न्यायालय की अधिकार क्षेत्र को लागू किया जाता है, पक्षकारों की पसंद के न्यायालय की अनन्य या गैर-अनन्य अधिकार क्षेत्र के संबंध में उसके पाठ निर्धारक नहीं हैं, बल्कि प्रासंगिक कारक हैं और जब पक्षकारों के बीच सहमत अधिकार क्षेत्र की प्रकृति के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो न्यायालय को तथ्यों और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में अनुबंध की सही व्याख्या पर इसका निर्णय करना होता है।

(4) प्राकृतिक अधिकार क्षेत्र आम तौर पर अपने समक्ष किसी प्रत्यर्थी के खिलाफ वाद-रोधी निषेधाज्ञा नहीं देगी, जहां पक्षकार अपनी पसंद के न्यायालय में कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने

के संबंध में अपनी पसंद का एक मंच, विदेशी अदालत सहित किसी न्यायालय के अनन्य अधिकार क्षेत्र को प्रस्तुत करने के लिए सहमत हुए हैं, सिवाय अच्छे और पर्याप्त कारणों के लिए एक असाधारण मामले में, ऐसी परिस्थितियों में अन्याय को रोकने की दृष्टि से जो एक संविदाकारी पक्ष को अनुबंध के बोझ से मुक्त करने की अनुमति देता है; या अनुबंध की तारीख के बाद से परिस्थितियों या बाद की घटनाओं ने निषेधाज्ञा की मांग करने वाले पक्षकार के लिए पसंद की न्यायालय में मुकदमा चलाना असंभव बना दिया है क्योंकि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का सार मौजूद नहीं है या एक बड़ी या बलपूर्वक दुर्घटना और इसी तरह के किसी वजह से।

(5) जहां पक्ष एक गैर-अनन्य अधिकार क्षेत्र खंड के तहत, एक तटस्थ विदेशी मंच से संपर्क करने और अनुबंध के तहत उत्पन्न होने वाले अपने विवादों के समाधान के लिए उस पर लागू कानून द्वारा शासित होने के लिए सहमत हुए हैं, आमतौर पर ऐसे मंच संयोजकों और पसंदीदा मंच में कार्यवाही के संबंध में कोई वाद-विरोधी निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी क्योंकि यह माना जाएगा कि पक्षों ने अपनी पसंद के अदालत के गैर-अनन्य अधिकार क्षेत्र को प्रस्तुत करने से पहले अपनी सुविधा और अन्य सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार किया है, जिसे केवल एक वैकल्पिक मंच के रूप में नहीं माना जा सकता है।

(6) अधिकार क्षेत्र खंड वाले अनुबंध के किसी पक्ष को आम तौर पर पक्षों की पसंद के न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से नहीं रोका जा सकता है क्योंकि यह अनुबंध के भंग में सहायता करने

के बराबर होगा; फिर भी जब अधिकार क्षेत्र खंड के पक्षों में से एक पक्ष पसंद की अदालत का दरवाजा खटखटाता है जिसमें अनन्य या गैर-अनन्य अधिकार क्षेत्र बनाई जाती है, तो उस अदालत में कार्यवाही को स्वयं परेशान करने वाला या दमनकारी नहीं माना जा सकता है और न ही न्यायालय को गैर-संयोजक मंच कहा जा सकता है।

(7) यह स्थापित करने का भार कि पसंद का मंच एक गैर-संयोजक मंच है या उसमें कार्यवाही दमनकारी या परेशान करने वाली है, यह पक्ष पर निर्भर होगा जो इसे रोकने और साबित करने के लिए संघर्ष कर रहा है।"

17. वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, यह देखा जा सकता है कि अपीलकर्ता शादी से बहुत पहले यू. एस. ए. का निवासी है और विवाह से पैदा हुआ बच्चा भी यू. एस. ए. में पैदा हुआ था। यह निर्विवाद है कि दोनों पक्ष वर्तमान में यू. एस. ए. में रह रहे हैं और जाहिर तौर पर दोनों पक्षों के लिए मंच संयोजक यू. एस. ए. प्रतीत होता है। मिशिगन राज्य, यू. एस. ए. के न्यायालय में शुरू की गई कार्यवाही में अपीलकर्ता को उस स्थिति में प्रतिवाद का अवसर मिलेगा जब विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने को हिन्दू विवाह अधिकार अधिनियम, 1955 के तहत तलाक का आधार नहीं माना जा सकता है जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है। हमारी राय है कि नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा सहित पक्षों के अधिकारों और देनदारियों को मिशिगन राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका

में प्रत्यर्थी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में भी प्रभावी ढंग से निर्धारित किया जा सकता है। यह अनुमान लगाने का कोई ठोस कारण प्रतीत नहीं होता है कि यदि प्रत्यर्थी पत्नी को मिशिगन राज्य, संयुक्त राज अमेरिका में उसके द्वारा शुरू की गई तलाक की कार्यवाही को आगे बढ़ाने से रोकने वाला वाद-विरोधी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं किया जाता है, तो अपीलकर्ता पति द्वारा किये गये किसी गंभीर अन्याय का सामना करना पड़ेगा।

18. हम आगे देखते हैं कि ***सौंदूर गोपाल बनाम सौंदूर रजनी*** (पूर्वोक्त), अपीलार्थी के लिए लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया जाना अलग है। अपीलकर्ता पति और प्रत्यर्थी पत्नी के बीच विवाह बैंगलोर में हिंदू संस्कारों और समारोहों के अनुसार हुआ और पक्षकारों को दो बच्चों का आशीर्वाद मिला। दंपति दिसंबर, 1993 में स्टॉकहोम, स्वीडन चले गए और 1997 में उन्हें स्वीडिश नागरिकता दी गई। दंपति 1997 और 1999 के बीच भारत में रह रहे और बाद में ऑस्ट्रेलिया चले गए क्योंकि अपीलकर्ता पति को सिडनी में नौकरी की पेशकश की गई थी। दूसरे बच्चे का जन्म 2001 में सिडनी में हुआ था। जैसे ही अपीलकर्ता के पति की नौकरी चली गई, वे अक्टूबर, 2002 तक स्टॉकहोम वापस चले गए। बाद में, प्रत्यर्थी को सिडनी में एक और नौकरी मिली और उसके साथ प्रत्यर्थी और बच्चे भी शामिल हो गए। इसके बाद, पत्नी और बच्चे भारत वापस आ गए, जबकि अपीलकर्ता पति सिडनी में वहाँ रुक गया। पत्नी द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम

, 1955 की धारा 10 के तहत और भारत में बच्चों की अभिरक्षा के लिए एक याचिका दायर की गई थी।

पति ने मुंबई के पारिवारिक न्यायालय में याचिका की स्थिरता को चुनौती देते हुए दावा किया कि वे मूल रूप से भारत के नागरिक थे, लेकिन उन्होंने स्वीडेन की नागरिकता प्राप्त की थी और बाद में ऑस्ट्रेलिया में निवास किया था। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि स्वीडेन की नागरिकता स्वीकार करने वाले पक्षों को यह माना जाता है कि उन्होंने अपने मूल अधिवास यानी भारत को छोड़ दिया है और निवास और स्थायी या अनिश्चितकालीन निवास के इरादे के संयोजन से पसंद का अधिवास प्राप्त किया है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैरा 35 और 36 में निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः-

> ***"35.*** *जन्म का अधिवास बदलने का अधिकार किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो कानूनी रूप से निर्भर नहीं है और ऐसा व्यक्ति अपनी पसंद का अधिवास प्राप्त कर सकता है। यह अपनी पसंद के देश में अनिश्चित काल तक रहने के इरादे से किया जाता है। जब तक यह साबित नहीं हो जाता है, तब तक अधिवास परिवर्तन के खिलाफ धारणा है। इसलिए, जो व्यक्ति यह आरोप लगाता है, उसे यह साबित करना होता है। इरादा हमेशा दिमाग में होता है, जिसका अनुमान ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी भी कार्य, घटना या परिस्थिति से लगाया जा सकता है। निवास, एक लंबी अवधि के लिए, इस तरह के इरादे का प्रमाण है और साथ ही राष्ट्रीयता में परिवर्तन भी।*

36. *उपरोक्त पृष्ठभूमि में, जब हम पति के ऑस्ट्रेलिया का अधिवास होने के दावे पर विचार करते हैं, तो हमें इस याचिका का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री नहीं मिलती है।आवासीय किरायेदारी के लिए अनुबंध केवल 18 महीने के लिए है जिसे लंबी अवधि के लिए नहीं कहा जा सकता है। मान लीजिए, पति या उस मामले के लिए, पत्नी और बच्चों ने ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्राप्त नहीं की है। इसकी अभाव में, यह प्रतिग्रहण मुश्किल है कि वे ऑस्ट्रेलिया में स्थायी रूप से रहने का इरादा रखते थे। यह दावा कि पति ऑस्ट्रेलिया में स्थायी रूप से रहने की इच्छा रखता है, उपलब्ध सामग्री के बावजूद, केवल एक सपना कहा जा सकता है। यह वहाँ स्थायी रूप से रहने के उनके इरादे को स्थापित नहीं करता है। पति ने स्वीकार किया है कि उनका वीजा एक "दीर्घकालिक परमिट" था ना कि "अधिवास दस्तावेज " था। इतना ही नहीं, पति ने के मूल अधिवास को कैसे और किस तरह से छोड़ दिया था, इस बारे में कोई कानाफूसी नहीं है। इसके बावजूद, हमें पति के मामले का प्रतिग्रहण मुश्किल लगता है कि वह ऑस्ट्रेलिया में अधिवासित है और वह मूल निवास यानी भारत बना रहेगा। हमारे इस उत्तर को ध्यान में रखते हुए कि पति के पास भारत का अधिवास है, यह प्रश्न कि पत्नी पति के अधिवास का पालन करेगी, यह आकादमी सम्बन्धी रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इन सभी कारणों से, हमारी राय है कि पति और पत्नी दोनों भारत के अधिवासी हैं और इसलिए, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत आएंगे, वास्तव में, हमने पाया है कि पति और पत्नी*

दोनों भारत के अधिवासी हैं और अधिनियम उन पर लागू होगा, पक्षों की ओर से उठाए गए अन्य तर्कों को आकादमिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है और हम उनका जवाब देने से खुद को रोकते हैं।"

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***सौंदूर गोपाल बनाम सौंदूर रजनी*** में निर्धारित कानून का प्रस्ताव किसी भी तरह से वर्तमान मामले में मुकदमा-विरोधी निषेधाज्ञा के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है, क्योंकि अपीलकर्ता पति भी 2010 से संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहा है और भारत में अल्पावधि के लिए ठहरना अस्थायी प्रतीत होता है।

19. मुकदमा-विरोधी निषेधाज्ञाओं के संबंध में कानून का सिद्धांत जैसा भी संदर्भित है ***एस्सेल स्पोर्ट्स (पी) लिमिटेड बनाम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड***, (पूर्वोक्त) अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस पर भरोसा किया गया है , यह विवादित नहीं है, लेकिन वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से अलग हैं क्योंकि दोनों पक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे हैं और मिशिगन राज्य का न्यायालय दोनों पक्षों के लिए मंच संयोजक है।

20. वास्तव में प्रत्यर्थी का मामला पूरी तरह से दिनेश ***कुमार ठाकुर बनाम सोनल ठाकुर*** (पूर्वोक्त) द्वारा कवर किया गया है, जो प्रत्यर्थी पर निर्भर है, जिसे पहले ही ऊपर संदर्भित किया जा चुका है। उसी का भी समर्थन किया जाता है

नैना सूरत रावत बनाम मुकल गोयल (पूर्वोक्त) में प्रत्यर्थी की ओर से भरोसा किया गया है, जिसमें इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 16 के पारिवारिक पृष्ठ 13 पर वादी/आवेदक के खिलाफ प्रत्यर्थी पति द्वारा दायर तलाक याचिका के खिलाफ वादी को मुकदमा-विरोधी निषेधाज्ञा देने से इनकार कर दिया है। कुटुंब न्यायालय, पूर्वी लंदन ने इस आधार पर कि लंदन में आवेदक की उपस्थिति अनिवार्य रूप से उसकी अपनी मर्जी से थी और क्योंकि उसे भारतीय उच्चायोग के तत्वावधान में लंदन में "शरण" द्वारा आवास और ठहराव प्रदान किया जा रहा था। इस प्रकार, वादी द्वारा यह तर्क नहीं दिया जा सका कि लंदन न्यायालय के कार्यवाही में भाग लेना उसके लिए असुविधाजनक होगा।

21. अपीलकर्ता ने विद्वान एकल न्यायाधीश, द्वारा 8 जुलाई 2022 को पारित आदेश ***दामिनी मनचंदा बनाम अविनाश भंभानी*** में, (पूर्वोक्त), पर और अधिक निर्भरता रखी है। जिसमें वादी की ओर से प्रत्यर्थी को उसके द्वारा सुपीरियर कोर्ट ऑफ न्यायाधीश, ओंटारियो, टोरंटो, कनाडा के समक्ष दायर तलाक याचिका के साथ आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक आवेदन को प्राथमिकता दी गई थी।

उन पक्षकारों ने 21 दिसंबर, 2002 को शादी की और इस शादी से दो बच्चों का जन्म हुआ। दोनों पक्ष 23 अप्रैल, 2018 को अपने बच्चों के साथ कनाडा के लिए रवाना हुए और वहां रहने लगे। उसमें वादी का मामला यह था कि उसने

16 दिसंबर, 2020 को दिल्ली के कुटुंब न्यायालय में तलाक की याचिका दायर की थी, तब प्रतिवादी भारत में रह रहा था और चूंकि उसने पहले तलाक की याचिका दायर की थी, इसलिए कनाडा में अदालत के समक्ष प्रतिवादी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगाने की आवश्यकता है। यह भी तर्क दिया गया कि प्रतिवादी जानबूझकर कुटुंब न्यायालय के समक्ष लंबित मामले से बचा निकला और दुर्भावनापूर्ण तरीके से कनाडा में मुकदमा दायर किया। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि भारतीय नागरिक होने के नाते वादी को कनाडा में अदालत के समक्ष अपना बचाव करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी के खिलाफ एक अंतरिम निषेधाज्ञा यह देखते हुए दी कि सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में था और
आगे भारत एवं कनाडा की अदालतों के समक्ष तलाक की कार्यवाही की बहुलता के परिणामस्वरूप परस्पर विरोधी निर्णय हो सकते हैं। ***माधवेंद्र एल. भटनागर बनाम भावना लाल*** *(पूर्वोक्त)* ***और मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क बनाम डब्ल्यू. एस. जी. क्रिकेट पीटीई पर रखा गया। लिमिटेड*** (पूर्वोक्त) मामले भरोसा किया गया है
।

यह ध्यान देने योग्य है कि शुरू में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दायर किया गया मुकदमा 05 दिसंबर, 2022 के आदेश के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, साकेत, दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया था और वादी द्वारा आदेश XXXIX नियम 1 और 2 सि.प्र.सं. के

तहत और आदेश XXXIX नियम 2क सि.प्र.सं. के तहत दायर आवेदनों को अंततः कुटुंब न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।

इसके बाद अपीलकर्ता ने आदेश के खिलाफ अपील की ***'दामिनी मनचंदा बनाम अविनाश भंभानी'*** शीर्षक वाला कुटुंब न्यायालय, **वै.आ. (कु.न्या.) 365/2023** जिसका निर्णय इस न्यायालय द्वारा 19 दिसंबर, 2023 को किया गया था। इस न्यायालय ने ***माधवेंद्र एल. भटनागर बनाम भावना लाल*** (पूर्वोक्त) में निर्णय को अलग किया जैसा कि अपीलार्थी/वादी द्वारा भरोसा किया गया था और पैराग्राफ 28 से 30 में टिप्पणियों को लाभकारी तौर पर पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः

> *"28. जहाँ तक माधवेंद्र एल. भटनागर (पूर्वोक्त) के मामले से संबंधित फैसले का संबंध है, सर्वोच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ अपील पर विचार कर रहा था जिसमें विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि की गई थी, जिसमें आदेश XXXIX नियम 2 सि.प्र.सं. के तहत अंतरिम वाद विरोधी निषेधाज्ञा आदेश देने के लिए वाद के एक आवेदन को खारिज कर दिया गया था। उक्त मामले में, पत्नी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिजोना के सुपीरियर कोर्ट के समक्ष तलाक के मुकदमा कार्यवाही का सहारा लिया गया था। यह पति का मामला था कि पत्नी कभी भी एरिजोना, यू. एस. ए. में नहीं रही। कैलिफोर्निया में दंपति के एक बच्चे का जन्म हुआ। अधिकार क्षेत्र की कमी की याचिका एरिजोना के सुपीरियर कोर्ट के समक्ष उठाई गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि एरिजोना में न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह विवाह विच्छेद के लिए हिंदू विवाहों पर लागू कानूनों को ध्यान में नहीं रखेगा। अपीलकर्ता को कुछ कठोर आदेश मिलने की आशंका है जिसे पत्नी के कहने पर एरिजोना में*

न्यायालय द्वारा पारित किए जाने की संभावना है, उसने मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल में न्यायालय के समक्ष तलाक के प्रश्न के साथ-साथ नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा के लिए कार्यवाही का सहारा लिया। उक्त वाद के विचाराधीन रहने और नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा सौंपने के निर्देश के दौरान, अपीलकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि एरिजोना में न्यायालय भारत से बाहर था और भोपाल में न्यायालय के अधीनस्थ नहीं था।

29. जब अपीलकर्ता द्वारा मामले को उच्च न्यायालय में ले जाया गया तो यह विचार था कि भारत में न्यायालय केवल एरिजोना में न्यायालय द्वारा वै.आ. (कु.न्या.) 365/2023 *पृष्ठ 18 लंबित कार्यवाही में एक आदेश पारित करने के बाद ही पक्षों के बीच विवाद का निर्णय ले सकते हैं। अपील में उच्चतम न्यायालय का विचार था कि वही उद्देश्य नहीं था जिसके लिए अपीलकर्ता द्वारा एकपक्षीय अंतरिम राहत मांगी गई थी। यह आयोजित किया गया था कि आदेश की आवश्यकता है,अलग रखा जाए और अंतरिम राहत दी जाए जैसा कि इसके समक्ष दायर आवेदन में अनुरोध किया गया है।*

भोपाल की अदालत को अनुमति देने की आवश्यकता है, जिसमें प्रत्यर्थी - पत्नी को एरिजोना के सुपीरियर कोर्ट में उसके द्वारा शुरू किए गए मुकदमे के साथ आगे बढ़ने से रोकना या भोपाल की अदालत द्वारा आदेश पारित किए जाने तक उसकी किसी भी कार्यवाही में अंतरिम आवेदनों सहित कोई अन्य कार्यवाही में मुकदमा किये जाने से रोकना शामिल है।

30. सुश्री सिंह द्वारा जिन निर्णयों पर बहुत अधिक निर्भरता रखी गई है, उन पर ध्यान देने के बाद, हमारा विचार है कि विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 14 में ***माधवेंद्र एल भटनागर*** *(पूर्वोक्त) के मामले में फैसले को अपास्त करना न्यायसंगत था क्योंकि उस मामले में मामला एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा के चरण में था। लेकिन हाथ में आये इस मामले में, प्रत्यर्थी पहले ही अपने वकील द्वारा से अपनी उपस्थिति*

दर्ज करा चुका था और आदेश XXXIX नियम 1 और 2 सि. प्र. सं. के तहत आवेदन का विरोध किया था। विचारण न्यायालय द्वारा भी यह देखा गया कि ***माधवेंद्र एल. भटनागर*** *(पूर्वोक्त) में, तलाक याचिका उस काउंटी में दायर की गई थी जहाँ न तो पति और न ही पत्नी रहते थे। हाथ के इस मामले में, अपीलकर्ता न केवल कनाडा में रह रहा था, बल्कि प्रत्यर्थी ने वहां तलाक की याचिका भी दायर की थी। दोनों पक्ष कनाडा में रहते हैं। वर्तमान में भी, अपीलकर्ता स्थायी रूप से कनाडा में रहता है। भारत में मुकदमा दायर करने और तलाक की याचिका दायर करने के समय, अपीलकर्ता कनाडा में रह रहा था। हम पाते हैं कि वाद-विरोधी निषेधाज्ञा की मांग करने वाले आवेदन को खारिज करने के लिए विचारण न्यायालय का आधार भी मुख्य रूप से मंच संयोजकों के आधार पर है।"*

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय द्वारा 19 दिसंबर, 2023 को **वै.आ. (कु.न्या.) 365/2023** में पारित अंतिम आदेश, किसी भी तरह से, वर्तमान मामले में अपीलकर्ता के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है।

22. हमारा विचार है कि तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्थी पत्नी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही न तो परेशान करने वाली है और न ही दमनकारी है, और यदि वाद-विरोधी निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है तो न ही अपीलकर्ता को गंभीर अन्याय का सामना करना पड़ेगा। पूर्वगामी कारणों से, हम विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार अपील खारिज कर दी जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाता है।

(अनूप कुमार मेंदिरत्ता)
न्यायाधीश

(वी. कामेश्वर राव)
न्यायाधीश

जनवरी 03,2024/आर/एसडी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*